

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 81/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हरदयालसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी सिवास तहसील देसूरी हाल निवासी 4 ए-1, वाइस चान्सलर (जे.एन.वी.यू.) के सामने रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर (राजस्थान)		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली 2.क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री लक्ष्मण के. चौधरी अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:- 22/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय प्रकरण संख्या 62/2009 हरदयालसिंह बनाम सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम बाली में स्थित हाल खसरा नम्बर 1989 रकबा 7.62 हैक्टर किस्म बरानी अब्बल बाबत घोषणा खातेदारी एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के निर्णय तक बहक अपीलाण्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण स्वयं या उसके प्रतिनिधि बेदखल नहीं करें एवं प्रार्थी (अपीलाण्ट)के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी पैदा नहीं करें। लेकिन उपखण्ड अधिकारी, बाली ने अपने आदेश दिनांक 30.06.2014 के द्वारा वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजकीय सिवाय चक खाते में दर्ज होने से एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी (अपीलाण्ट) के पक्ष में नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की है। अपीलाण्ट ने अपने उक्त

अपील में वादग्रस्त भूमि के बाबत यह तथ्य अंकित किया है कि विवादित भूमि के पुराने खसरा नम्बर 765, 766, 767, 776, 793, 793/1, 793/2, 776/1 कुल रकबा 7234 बीघा रहे जो कि बाली जोड़ के नाम से जानी जाती है जिसके गत खसरा नम्बर 767 मीन रकबा 50 बीघा रहे जो वर्ष 1964 में तत्कालीन जोधपुर राज्य के His Highness के खुदकाशत व्यक्तिगत सम्पत्ति के भूमि थी। अपीलांट के पूर्वज जोधपुर रियासत के पूर्व महाराजा श्रीमान् हिजहाईनेश महाराजा श्री गजेसिंह के सरकारी महकमे में कामदार के पद पर नौकरी करते थे तथा उन्हें व्यक्तिगत सम्पत्ति में से घर खर्च चलाने व गुजारे के रूप में खसरा नम्बर 776 मीन रकबा 37.5 बीघा भूमि का ग्रान्ट आदेश अपीलांट के पूर्वज के पक्ष में दिनांक 24.12.1969 को पारित किये गये जिस पर अपीलांट के व पूर्वज का कब्जा चला आ रहा है। Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land owners estate Act 1963 के प्रभावी होते समय अपीलार्थी के पूर्वज उक्त भूमि पर काशतकार थे। बाली ग्राम का भू प्रबंध का कार्य वर्ष 1976 में शुरू हुआ जो 1980 तक चला एवं भू प्रबंध का अन्तिम रेकार्ड 1984 में बनकर तैयार हुआ। अपीलार्थी व उसके पूर्वजों के द्वारा उसे इस भूमि का खातेदार दर्ज करने हेतु संबंधित राजस्व अधिकारियों को कई बार निवेदन किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्व अभिलेख में समस्त भूमि महाराजा के नाम ही दर्ज होती रही। दिनांक 02.03.1976 को उपखण्ड अधिकारी की हैसियत से जिलाधीश जोधपुर के आदेश दिनांक 26/27.02.1976 की अनुपालना में उक्त भूमि का कब्जा लेना बताया गया इस संबंध में न तो अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land owners estate Act 1963 लागू होने से पूर्व अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार रहा है। भूमि अवाप्ति के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध की गई बेदखली कार्यवाही ab-initio void है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काशत चला आ रहा है। जबकि राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी राजस्व रेकार्ड व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता द्वारा किये गये अभिकथनों का विरोध प्रकट करते हुए बताया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी किसी प्रकार कब्जा काशत नहीं रहा है। राजस्व रेकार्ड में भूमि सिवायचक दर्ज है। अपीलांट के पक्ष में किसी तरह का हस्तान्तरण है तो वह बिना कानूनी प्रक्रिया के है विधिक हस्तान्तरण पंजीयन के माध्यम से ही हो सकता है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में इस तरह का कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये है। राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से अपीलांट को किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते साथ ही यह भूमि वर्तमान में वन विभाग के

नाम दर्ज होने एवं मौके पर वृक्षारोपण किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं प्रेषित रेकार्ड का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अपीलांट अधिवक्ता मुख्य तर्क यह रहा कि तत्कालीन जोधपुर राज्य के His Highness के खुदकाशत व्यक्तिगत सम्पत्ति की भूमि होने तथा अपीलांट के पूर्वज जोधपुर रियासत के पूर्व महाराजा श्रीमान् हिजहाईनेश महाराजा श्री गजेसिंह के सरकारी महकमे में कामदार के पद पर नौकरी करते थे तथा उन्हें अपनी सम्पत्ति में से घर खर्च चलाने व गुजारे के रूप में खसरा नम्बर 767 मीन रकबा 50 बीघा भूमि का ग्रान्ट आदेश अपीलांट के पूर्वज के पक्ष में दिनांक 24.12.1969 को पारित किये गये जिस पर अपीलांट के व पूर्वज का कब्जा आदिनांक तक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर जोधपुर सरकार द्वारा प्रार्थी के पूर्वज के पक्ष में आदेश ग्रान्ट के पश्चात से आज तक प्रार्थी का कब्जा होते हुए भी राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का दावा भी प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन होने एवं समय लगने की संभावना है एवं अपीलांट को बेदखल भी किया जा सकता है जिस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, बाली ने अपने आदेश दिनांक 30.06.2014 को खारिज कर दिया इसके विपरीत सरकारी पैरोकार का तर्क रहा कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी किसी प्रकार का कब्जा काशत नहीं रहा एवं राजस्व रेकार्ड में भूमि सिवायचक दर्ज है। अपीलांट के पक्ष में किसी तरह का हस्तान्तरण है तो वह बिना कानूनी प्रक्रिया के है। राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से अपीलांट को किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते साथ ही यह भूमि वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज होने एवं मौके पर वृक्षारोपण किया हुआ है। उभय पक्षों की बहस एवं उनके द्वारा किये गये कथनों से यह पाया गया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में राजकीय सिवाय चक दर्ज होने एवं यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होने तथा मौके पर वृक्षारोपण किया हुआ है साथ ही यदि भूतपूर्व महाराजा के द्वारा उन्हें अपनी सम्पत्ति में से घर खर्च चलाने व गुजारे के रूप में दिया होता तो राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होना चाहिए था लेकिन उक्त प्रकरण में यह कथन किसी तरह से स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत बाद राजस्व रेकार्ड की आवश्यक जांच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 विधिसम्मत होने से

यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली